

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 731/2016

संस्थापित दिनांक 23/11/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. रामबहादुर पुत्र रामसनेही उम्र 32 वर्ष
2. रामवरन पुत्र रामसनेही उम्र 45 वर्ष
3. कमलेश पुत्र रामसनेही उम्र 50 वर्ष
4. मिथुन पुत्र रामवरन उम्र 21 वर्ष

समस्त निवासीगण- वार्ड क्र0 16 गांधीनगर गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा- 294, 324/34, 323(दो शीर्ष) 506 भाग-2 भा0द0सं0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ- श्रीमती हेमलता आर्य।)
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता- श्री राघवेन्द्र तोमर।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 07.05.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 15.03.2016 को 20:00 बजे फरियादी पप्पू के घर के पास गांधी नगर गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी पप्पू को मां-बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी पप्पू को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय सामान्य आशय के अग्रशरण में आहत विमल एवं शेरसिंह की लाठी डंडों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित करने तथा फरियादी पप्पू की धारदार आयुध छुरी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु आरोपी मिथुन पर भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2, 323/34 (दो शीर्ष) एवं 324 तथा आरोपी कमलेश पर भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2, 323/34 (दो शीर्ष) एवं 324/34 तथा आरोपी रामबहादुर एवं रामवरन पर भा0दं0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2, 323 (दो शीर्ष) एवं 324/34 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 15.03.2016 की शाम करीबन 08:00 बजे फरियादी पप्पू सरकारी हैंडपम्प पर पानी भरने गया था तो आरोपी रामबहादुर ने उससे कहा था कि हमारे दरबाजे पर वर्तन क्यों रखे हैं, इसी बात पर रामबहादुर उसे गालियां देने लगा था। फरियादी पप्पू ने आरोपी रामबहादुर को गालियां देने से मना किया था तो आरोपी रामबहादुर ने पप्पू के सिर में गुम्मा मारा था जिससे फरियादी पप्पू के सिर से खून निकलने लगा था उसे बचाने उसके लड़के विमल एवं शेरसिंह उसे बचाने आये थे तो आरोपी कमलेश व रामवरन ने लाठी व डंडों से उसके लड़को की मारपीट की थी। उसने अपने लड़को को बचाया था तो आरोपी मिथुन ने उसकी नाक में छुरी मार दी थी। मौके पर मोहल्ले वालों ने बीच बचाव किया था। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र 73/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विचारण के दौरान फरियादी पप्पू एवं आहत विमल तथा शेरसिंह द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी रामबहादुर एवं रामवरन को भा०दं०सं० की धारा 294, 323-दो शीर्ष एवं 506 भाग-2 तथा आरोपी कमलेश एवं मिथुन कट्टे को भा०दं०सं० की धारा 294, 323/34-दो शीर्ष एवं 506 भाग-2 के आरोप से पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है तथा मात्र आरोपी मिथुन के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 324 एवं शेष आरोपीगण के विरुद्ध भा०दं०सं० की धारा 324/34 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है। :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 15.03.2016 को 20:00 बजे फरियादी पप्पू के घर के पास गांधीनगर गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी पप्पू की धारदार आयुध छुरी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी पप्पू अ०सा० 1, आहत शेरसिंह अ०सा० 2 एवं विमलराज अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारणविचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

8. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी पप्पू अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व की होकर शाम आठ बजे की है। वह सरकारी हैंडपम्प पर पानी भरने गया था तो आरोपी रामबहादुर ने कहा था कि तुमने उसके दरबाजे पर बर्तन क्यों रख दिये हैं। आरोपी उसे माँ-बहन की गालियाँ देने लगा था। जब उसने आरोपी से गालियाँ देने से मना किया था तो आरोपी रामबहादुर ने उसके सिर में गुम्मा मार दिया था। जब उसके बच्चे विमल और शेरसिंह उसे बचाने आये थे तो आरोपी कमलेश, रामबहादुर, मिथुन एवं रामवरन ने लाठी डंडो से उसकी मारपीट की थी जिससे विमल के शरीर में चोटे आई थी एवं उसकी नाक में चोट आई थी। मौके पर गुटाली एवं रामसिया ने बीच बचाव कराया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी जो प्र०पी० 1 है जिस पर उसका निशानी अंगूठा है। नक्शामौका प्र०पी० 2 है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी थी।

9. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से पहले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पद क्र० 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि जब उसके सिर में लग गई थी तो वह घर पहुंच गया था, उसके बाद वह अपने साथ में अपने लड़को को लेकर आया था तब वह मिथुन ने छुरी मारी थी। लाठियाँ किसने किसको मारी थी वह नहीं बता सकता है।

10. आहत शेरसिंह अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में फरियादी पप्पू अ०सा० 1 के कथन का समर्थन किया है तथा आरोपीगण द्वारा मारपीट किये जाने बावत् प्रकटीकरण किया है।

11. आहत विमलराज अ०सा० 3 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व रात्रि 08-09 बजे उसके पिता सरकारी हैंडपम्प पर पानी भरने गये थे तो आरोपी रामबहादुर से उसके पिता का मुंहबाद हो गया था जिस पर से रामबहादुर ने उसकी पिता की मारपीट कर दी थी। जब वह और उसका भाई शेरसिंह बचाने गये थे तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट की थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी मिथुन ने उसके पिता की नाक में छुरी मारी थी।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी पप्पू एवं आहत विमल तथा शेरसिंह द्वारा आरोपीगण से राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा०दं०सं० की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपीगण के विरुद्ध मात्र फरियादी पप्पू की मारपीट के संबंध में भा०दं०सं० की धारा 324 के अंतर्गत विचारण शेष है। उक्त संबंध में न्यायालय को मात्र यह विचार करना है कि क्या आरोपीगण ने फरियादी पप्पू की धारदार छुरी से मारपीट की थी। उक्त संबंध में फरियादी पप्पू अ०सा० 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया

है कि घटना वाले दिन वह सरकारी हैण्डपम्प पर पानी भरने गया था तो आरोपीगण ने लाठी डंडो से उसकी मारपीट की थी। जिससे उसके सिर एवं नाक में चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि सिर में चोट लगने के बाद वह घर पहुंच गया था। इसके बाद वह अपने लड़को को लेकर आया था तब उसे मिथुन ने छुरी मारी थी।

14. इस प्रकार फरियादी पप्पू अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि सिर में चोट लगने के बाद वह घर गया था वहां से वह अपने लड़को को साथ में लेकर आया था तब उसे आरोपी मिथुन ने छुरी मारी थी परन्तु यह बात उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन में नहीं बताई गई है। रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं पुलिस कथन में यह वर्णित नहीं है कि फरियादी पप्पू जब अपने लड़को को साथ लेकर दूसरी बार घटनास्थल पर आया था तब आरोपी मिथुन ने उसे छुरी मारी थी इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी पप्पू अ0सा0 1 के कथन प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहे हैं। उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्त्विक है जो उक्त बिन्दु पर फरियादी पप्पू के कथनों को संदेहास्पद बना देते हैं।

15. फरियादी पप्पू अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि सिर में चोट लगने के बाद वह घर पहुंच गया था, उसके बाद वह अपने लड़को को साथ लेकर आया था तब मिथुन ने उसे छुरी मारी थी परन्तु यह बात साक्षी शेरसिंह अ0सा0 2 एवं विमलराज अ0सा0 3 द्वारा नहीं बताई गई है। शेरसिंह अ0सा0 2 का ऐसा कहना नहीं है कि सिर में चोट आने के बाद उसके पिता घर पर आये थे और उसके बाद उसके पिता लड़को को साथ लेकर दुबारा घटनास्थल पर पहुंचे थे तब मिथुन ने उसके पिता को छुरी मारी थी। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी पप्पू अ0सा0 1 एवं शेरसिंह अ0सा0 2 के कथन भी परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। यह तथ्य भी फरियादी पप्पू अ0सा0 1 के कथनों को संदेहास्पद बना देता है।

16. शेरसिंह अ0सा0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना वाले दिन उसके पिता हैण्डपम्प पर पानी भरने गये थे तो रामबहादुर की लड़की ने बीच में अपना लौटा लगा दिया था तो उसके पिता ने लड़की को डांटा था तो आरोपी रामबहादुर ने आकर गालियां दी थी एवं रामबहादुर के भाई आरोपी कमलेश, रामवरन मिथुन एवं रामबहादुर की पत्नि ने हैण्डपम्प पर आकर उसके पिता की मारपीट की थी। इस प्रकार शेरसिंह अ0सा0 2 का कहना है कि झगड़े की शुरुआत रामबहादुर की लड़की द्वारा हैण्डपम्प पर अपना लौटा लगा देने से हुई थी परन्तु यह बात फरियादी पप्पू अ0सा0 1 द्वारा नहीं बताई गई है। फरियादी पप्पू अ0सा0 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जब वह पानी भरने गया था तो रामबहादुर ने उससे कहा था कि तुमने हमारे दरबाजे पर बर्तन क्यों रख दिये है जबकि शेरसिंह अ0सा0 2 का कहना है कि रामबहादुर की लड़की ने बीच में आकर अपना लौटा लगा दिया था। इसके अतिरिक्त शेरसिंह अ0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी रामबहादुर की पत्नी ने उसके पिता को गुम्मा फेककर मारा था जबकि फरियादी पप्पू अ0सा0 1 का कहना है कि आरोपी रामबहादुर ने उसके गुम्मा फेककर मारा था। शेरसिंह अ0सा0 2 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उसी समय मिथुन ने आकर उसके पिता की नाक में चाकू मारा था जबकि फरियादी पप्पू अ0सा0 1 का कहना है कि सिर में चोट लगने के बाद वह घर पहुंच गया था उसके बाद वह अपने लड़को को लेकर आया था तब उसे मिथुन ने छुरी मारी थी। इस प्रकार फरियादी पप्पू अ0सा0 1 एवं शेरसिंह अ0सा0 2 के कथनों से दर्शित

है कि उक्त साक्षीगण के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिन्दुओं पर अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं जो अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देते हैं।

17. आहत शेरसिंह अ0सा0 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया है कि झगड़े के दौरान आरोपी रामवरन उसके पिता की फरसे से मारपीट कर रहा था। रामवरन ने उसका पिता के सिर में फरसा मारा था तथा उसकी पत्नि ने उसके पिता के पैर में पत्थर मारा था परन्तु यह बात स्वयं फरियादी पप्पू अ0सा0 1 द्वारा नहीं बताई गई है न ही इस तथ्य का उल्लेख आहत शेरसिंह अ0सा0 2 के पुलिस कथन में है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर शेरसिंह अ0सा0 2 के कथन फरियादी पप्पू अ0सा0 1 के कथन से विरोधाभासी रहे हैं। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

18. जहां तक विमलराज अ0सा0 3 के कथन का प्रश्न है तो विमलराज अ0सा0 3 ने अपने कथन में आरोपीगण द्वारा उनकी मारपीट करना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि आरोपी मिथुन ने उसके पिता के छुरी मारी थी। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपी मिथुन ने उसके पिता के नाक में छुरी मारी थी इस प्रकार विमलराज अ0सा0 3 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी मिथुन द्वारा धारदार आयुध छुरी से मारपीट करने के तथ्य से इंकार किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

19. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि फरियादी पप्पू अ0सा0 1 एवं शेरसिंह अ0सा0 2 एवं विमलराज अ0सा0 3 के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्विक बिन्दुओं पर अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी पप्पू अ0सा0 1 के कथन तात्विक बिन्दुओं पर प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभासी रहे हैं। प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान फरियादी पप्पू की धारदार आयुध छुरी से मारपीट की थी। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

20. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपीगण को दिया जाना उचित है।

21. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 15.03.2016 को 20:00 बजे फरियादी पप्पू के घर के पास गांधी नगर गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी पप्पू की धारदार आयुध छुरी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी मिथुन को भा0दं0स0 की धारा 324 एवं आरोपी रामबहादुर, रामवरन एवं कमलेश में से प्रत्येक को भा0दं0स0 की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

22. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।
23. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 07/05/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र
विधिक उपयोग